उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3
संख्या-74/2021/539/71-3-2021- एन0एम0-2/2020
लखनऊ : दिनांक 07 जून, 2021

संशोधनादेश

केन्द्र सहायतित योजना (फेज-2) के अंतर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर हेतु शासनादेश संख्या-02/2021/1382/71-3-2021-एनएम-02/2020 दिनांक 05.01.2021 द्वारा चिकित्सा शिक्षक के 45 पद, सीनियर रेजीडेण्ट के 18 पद, जूनियर रेजीडेण्ट के 42 पद, नर्सिंग संवर्ग के 173 पद, पैरामेडिकल/तकनीकी संवर्ग के 32 पद, लिपिकीय संवर्ग के 30 पद, प्रशासनिक संवर्ग के 10 पद तथा चतुर्थ श्रेणी (आउटसोसिंग) के 36 पद अर्थात् कुल 386 पदों का सृजन किया गया। उक्त शासनादेश के साथ संलग्न तालिका के बिन्दु-(झ) चतुर्थ श्रेणी (आउट सोर्सिंग के माध्यम से) के 36 पद नियमित वेतनमान में सृजित हो गये है।

2- महानिदेशक, चि0शि0 के पत्र दिनांक 25.03.2021 द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर हेतु सृजित चतुर्थ श्रेणी के पदों में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है, जिससे कि उक्त पदों को "आउटसोर्स ऑफ मैनपावर" के माध्यम से भरे जाने की कार्यवाही की जा सके।

3- अतः स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर हेतु शासनादेश दिनांक 05.01.2021 के साथ संलग्न तालिका के बिन्दु-(झ) चतुर्थ श्रेणी (आउट सोर्सिंग के माध्यम से) के सृजित 36 पदों के नियमित वेतनमान (5200-20200, ग्रेड पे-1800) को निरसित किया जाता है।

उक्त शासनादेश दिनांक 05.01.2021 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेगी।

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः-74/2021/539(1)/71-3-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चि0शि0 एवं प्रशि0, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. नियोजन-अनुभाग-4
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।